राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1144/2024

राजीव मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अधीक्षण अभियंता, कार्यालय अधीक्षण अभियंता (ओएण्डएम), जयपुर डिस्कोम, अलवर।
3. सहायक अभियंता (ओएण्डएम), कार्यालय सहायक अभियंता (ओएण्डएम), जेपीडी, खेडली, तहसील कठूमर, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.03.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कैलाश चन्द कटारा, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4'ए' के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान कर हस्तगत अपील में संशोधन कर संशोधित अपील प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार कर रिकॉर्ड पर लिया गया एवं सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया अपीलार्थी वर्तमान में टेक्नीकल हैल्पर–प्रथम के पद पर एईएन (ओ.एण्ड एम.) खेडली, जिला अलवर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से एईएम (ओएण्डएम) जेपीडी, रामगढ़, जिला अलवर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के राजनैतिक कारणों से 80 कि.मी. दूर किया गया है, जो विधि–विरूद्ध एवं अनुचित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.03.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। अपीलार्थी एक अल्प वेतन भोगी कार्मिक है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 45/2001 गिरीराज शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 17.04.2002 का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण भी समान बताया गया है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के

आदेश दिनांक 22.02.2024 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 12.03.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर यथावत रखे जाने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में टेक्नीकल हैल्पर–प्रथम के पद पर एईएन (ओ.एण्ड एम.) खेडली, जिला अलवर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से एईएन (ओ.एण्ड एम.) जेपीडी, रामगढ़, जिला अलवर में प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 45/2001 गिरीराज शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के तथ्य अपीलार्थी से भिन्न होने से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर वर्ष 2019 से कार्यरत है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य